भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2412

उत्तर देने की तारीख 13.03.2025

अनुसूचित जनजातियों के लिए उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफ-एसटी)

2412. श्री लावु श्रीकृष्णा देवरायालू:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) स्टार्टअप सहित महिलाओं से अनुसूचित जनजातियों के लिए उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफ-एसटी) के लिए विशेष रूप से आंध्र प्रदेश सहित राज्यवार और क्षेत्रवार कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत विशेषकर आंध्र प्रदेश में स्टार्टअप सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए विशेषकर महिलाओं के लिए कितने आवेदन स्वीकृत किए गए और कितने ऋण स्वीकृत किए गए;

(ग) स्वीकृत और उपयोग की गई निधियों का राज्यवार विशेषकर आंध्र प्रदेश का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने योजना के बारे में सूचना के प्रचार-प्रसार हेतु कोई उपाय किए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या निधि संवितरण प्रक्रिया के परिणामस्वरूप विवादों के लिए कोई शिकायत निवारण तंत्र है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क) से (ग) अनुसूचित जनजातियों के लिए उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफ-एसटी) की योजना फरवरी, 2024 में शुरू की गई थी और तब से इस योजना के तहत विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत 17 आवेदन प्राप्त हुए हैं। आंध्र प्रदेश से कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ था। उक्त योजना के तहत

अनुमोदित आवेदनों और विशेष रूप से महिलाओं के लिए स्वीकृत ऋणों का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	राज्य	आवेदनों की संख्या	महिला उद्यमियों की संख्या	अजजा सहित उद्यमियों की कुल संख्या	क्षेत्र	स्वीकृत राशि (करोड़ रूपये)
1	छत्तीसगढ़	1	1	2	खाद्य प्रसंस्करण	3.41
2	तेलंगाना	1	2	2	खाद्य प्रसंस्करण	5.00

(घ) नई योजना होने के कारण, मीडिया में विज्ञापनों के माध्यम से प्रचार के साथ-साथ विभिन्न सम्मेलनों/बैठकों के आयोजन, सोशल मीडिया और वेबिनार के माध्यम से उद्यमियों को जोड़ने के माध्यम से अजजा उद्यमियों के बीच निधि के बारे में नियमित जागरूकता के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे कुछ प्रयासों का उल्लेख नीचे किया गया है:

वेबिनार

i. उनके इनक्यूबेशन सेंटर (उद्भवन केन्द्र)/इनोवेशन (नवाचार) पार्क में संभावित अनुसूचित जनजातियों (अजजा) के बीच योजना की जानकारी प्रसारित करने के लिए 11 राज्यों में 22 टीबीआई के साथ आयोजित किया गया।

ii. 4 राज्य एजेंसियों के साथ उनकी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से संभावित अनुसूचित जनजातियों (अजजा) के बीच जागरूकता सृजित करने के लिए आयोजित किया गया ।

iii. योजना के दिशा-निर्देशों का प्रसार करने और जागरूकता सृजित करने के लिए 4 औद्योगिक निकायों के साथ आयोजित किया गया।

iv. पूर्वोत्तर राज्य में प्रशिक्षण केंद्रों के साथ आयोजित किया गया।

वास्तविक आउटरीच

i. एमएसएमई मंत्रालय और एनएसआईसी, एनएसएसएच तथा सीआईआई और डीआईसीसीआई सहित उद्योग निकायों के साथ 6 वास्तविक बैठकों में शामिल हुए/बैठकें आयोजित की गई हैं।

ii. स्टार्टअप इंडिया चैप्टर के साथ 2 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें स्टार्टअप तमिलनाडु भी शामिल है।

iii. उद्यमियों को योजना के बारे में जानकारी देने, संदेह निवारण सत्र आयोजित करने तथा आवेदन दाखिल करने में सहायता करने के लिए विभिन्न वेबिनारों का आयोजन।

iv. आईएफसीआई वेंचर जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) के सहयोग से उद्यम पूंजीपतियों और निजी इक्विटी निवेशकों को आमंत्रित करके कार्यक्रम/संगोष्ठी को आयोजित कर रहा है ताकि प्रमुख उद्यम पूंजीपतियों और प्रभाव निवेशकों को एकसाथ लाकर जनजातीय उद्यमियों को सशक्त बनाने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए रणनीतियों पर चर्चा की जा सके।

v. योजना के बारे में जागरूकता प्रदान करने तथा अजजा उद्यमियों से जुड़ने के लिए स्टार्टअप महाकुंभ, एडवांटेज असम 2.0 आदि जैसे विभिन्न कार्यक्रमों में भागीदारी।

सोशल मीडिया फ्रंट

i. बाहरी एजेंसी के सहयोग से विभिन्न हैंडलों में स्थिर पोस्ट, शिक्षण और शैक्षिक सामग्री सहित विभिन्न सोशल मीडिया पोस्ट पोस्ट किए गए।

ii. इस योजना को स्टार्ट अप इंडिया के इन्वेस्टर्स कनेक्ट पोर्टल पर भी पंजीकृत किया गया और मंच के माध्यम से कई पोस्ट प्रकाशित किए गए।

(ङ) शिकायत निवारण के लिए, योजना की वेबसाइट अर्थात् www.vcfst.in पर एक समर्पित पोर्टल उपलब्ध कराया गया है, जिसमें शिकायत निवारण पोर्टल लिंक https://www.ifciventure.com/Grievance/Login है।

*****